न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 55/2017 (75 एलआरए) गिरधारीलाल वगै. बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00068)

1 गिरधारीलाल पुत्र श्री अमोलखराम पालीवाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम दयाकौर, तहसील लोहावट जिला, जोधपुर।
2 तोलाराम पुत्र श्री खेतुलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दयाकौर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
3 किशनलाल पुत्र श्री भैरूलाल पालीवाल (वार्ड पंच) जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम दयाकौर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।
4 गोमदराम मेघवाल पुत्र श्री परमाराम मेघवाल (वार्ड पंच) जाति मेघवाल निवासी ग्राम दयाकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
5 प्रेमराज जोशी पुत्र श्री सीताराम जोशी (वार्ड पंच) जाति ब्राह्मण निवासी दयाकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
6 नेनूलाल पालीवाल पुत्र श्री दौलतराम जाति ब्राह्मण निवासी दयाकौर तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर, जोधपुर।
2 उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर।
3 तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।
4 ग्राम सेवक ग्राम पंचायत दयाकौर तहसील लोहावट जिला जोधपुर।
5 सरपंच ग्राम पंचायत दयाकौर तहसील लोहावट जिला जोधपुर।
6 महेश कुमार पुत्र श्री जालाराम विश्नोई, ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत दयाकोर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।
7 मनोहरराम पुत्र भोजाराम
8 चेनाराम पुत्र सांवताराम
9 बुद्धाराम पुत्र सांवताराम
10 रामचंद्र पुत्र भगवानाराम
11 सुनिलकुमार पुत्र मोहनराम
जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम सुखसागर दयाकौर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

21/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर दिनांक 17.10.2017 अंतर्गत प्रकरण सं. 5065/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 5 की ओर से श्री बुधराम गोदारा।
4 रेस्पो. सं. 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5 रेस्पो. सं. 7 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई।

निर्णय

दिनांक : 21.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर के प्रकरण सं. 5065/2017 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ग्राम पंचायत दयाकौर के रहवासीगण है जो उक्त अपील में सार्वजनिक हित का प्रकरण होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत दयाकौर, पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर ने दिनांक 22.08.2016 को ग्राम सभा आहूत करते हुए कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिसमें अप्रार्थी सरपंच द्वारा प्रस्ताव सं. 4 लेते हुए अंकित कराया है कि वार्ड पंच रामलाल ने प्रस्ताव रखा कि माता माली स्थित ओरण में ग्रामीणों के अंतिम संस्कार किया जा रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है इसलिए मातामाली स्थित ओरण में 5 बीघा भूमि शमशान हेतु आरक्षित रखी जावे। जिस पर विचार कर सर्वसम्मति जताना बताया गया है तत्पश्चात ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी तहसीलदार को अपने पत्र दिनांक 15.09.2016 के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर खसरा नं. 638 में से 5 बीघा भूमि शमशान हेतु आवंटित करने का पत्र भेजा गया। तहसीलदार लोहावट ने उक्त भूमि के बारे में हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 07.07.2017 को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत शमशान भूमि आरक्षण हेतु प्रस्ताव तहसील कार्यायल को प्रेषित किया गया तत्पश्चात अप्रार्थी तहसीलदार ने अपने पत्र दिनांक 12.07.2017 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी फलोदी को आवंटन प्रस्ताव भिजवाते हुए शमशान

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि के अनुशंषा करने का निवेदन किया जिसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपने पत्र दिनांक 26.07.2017 के माध्यम से अप्रार्थी जिला कलेक्टर को अनुशंषा पत्र भिजवाते हुए भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया जिस पर कलक्टर ने ग्राम पंचायत दयाकौर के राजस्व ग्राम सुखसागर में स्थित खसरा नं. 638 गैर मुमकिन भाखर रकबा 81 बीघा 0 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि शमसान हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित करवाते हुए अप्रार्थी तहसीलदार को उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए दिनांक 17.10.2017 को आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट तलब करने पेश किया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट मंगाने एवं अपील की मैरिट पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 गैर कानूनी, गैर वाजिब, तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने की वजह से निरस्त करने योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा दिनांक 22.08.2016 को शमसान हेतु भूमि आरक्षित रखने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित किया गया बल्कि सरपंच एवं ग्राम सेवक ने आपस में मिलीभगत करते हुए ग्राम पंचायत सहायक महेश कुमार एवं उनके परिवार को फायदा पहुचाने की नियत से पुरानी तारीख से प्रस्ताव बताते हुए दस्तावेज तैयार किए गए हैं जो फर्जी, कूट रचित, दस्तावेज हैं जबकि दिनांक 2.08.2016 को ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव न तो रखा गया था और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है बल्कि सरपंच ने ग्राम पंचायत सहायक एवं ग्राम सेवक से मिलीभगत करते हुए दस्तावेज में हेरफेर किया एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर ताजी कार्यवाही की गई है जो कि प्रथम दृष्टया निरस्त किए जाने योग्य है। खसरा नं. 638 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा मातामाली के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें देवीमाता, हनुमानजी का प्रसिद्ध पीढ़ियों का मंदिर धर्मशाला आदि बने हुए हैं जिसमें समस्त ग्रामीण पूजा अर्चना करते हैं तथा मेले का आयोजन किया जाता है तथा उक्त भूमि पर कोई शमशान नहीं हैं। न ही

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त भूमि शमशान के उपयोग में किया जाता है बल्कि उक्त जमीन धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग मे ली जाती रही है तथा उक्त भूमि पर बना हुआ मंदिर ग्रामीणों एवं आस–पास के लोगों के लिए धार्मिक आस्था का केन्द्र है इसलिए उक्त भूमि को किसी भी सूरत में शमसान के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। मौका रिपोर्ट में पटवारी ने जानबूझकर अपने प्रस्ताव में अंकित कराया है कि उक्त जमीन धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में नहीं करवाई जा रही है जबकि मौके पर मंदिर एवं पूजाघर स्थित है तथा उक्त जमीन को कभी भी शमसान हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता था और न ही लिया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में सरपंच अतिक्रमियों को बचाना चाहता है। खसरा नं. 638 की कुछ ही दूरी पर यानि उसके पास में स्थित खसरा नं. 731 के पास में स्थित खसरा नं. 730 में 5 बीघा भूमि शमशान के रूप में दर्ज है जो ग्रामीणों द्वारा शमशान के रूप में उपयोग में ली जा रही है। जिसका वर्तमान में खसरा नं. 730/1 है। इस प्रकार ग्राम पंचायत दयाकौर में राजस्व ग्राम सुखसागर में पहले से ही 5 बीघा भूमि शमशान हेतु आरक्षित की जा चुकी है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में दूसरी जगह और भूमि शमशान के लिए आरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं हैं। प्रस्ताव भेजते समय अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी जानकारी मिलते ही तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए मगर अपीलार्थीगण की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है तथा अपीलार्थीगण के घोर विरोध के बावजूद जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 17.10.2017 को आदेश करते हुए उक्त भूमि को आरक्षित करने में कानूनी भूल की है इसलिए जिला कलेक्टर का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। दिनांक 17.06.2017 को पटवारी, सरपंच, ग्राम पंचायत सहायक आदि ने एक मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें अंकित कराया है कि उक्त भूमि पूर्ण रूप से खाली है तथा मौके पर भूमि का शमशान हेतु उपयोग में लिया जा रहा है जबकि उक्त भूमि में पर माताजी का एवं हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है तथा उक्त पूरी भूमि रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा में से 1 इंच भूमि शमशान हेतु उपयोग में नहीं ली जा रही है। तथा कथित ग्राम पंचायत सहायक महेश कुमार द्वारा उक्त भूमि खसरा संख्या 638 में से काफी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेती की जा रही है जिसका विरोध लंबे समय से अपीलार्थीगण एवं ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है मगर ग्राम पंचायत एवं अन्य प्रशानिक अधिकारियों द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने की किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है बल्कि ग्राम पंचायत

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक को उक्त भूमि का तौफा देने की नियत से सरपंच ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ग्रामीणों की भावनाओं के विपरीत जाकर उक्त भूमि को शमशान हेतु आरक्षित करवाने की कार्यवाही की गई है। जिसमें तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के द्वारा सहयोग करते हुए फर्जी प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट तलब करने भी पेश किया व कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सुखसागर के खसरा नं. 638 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि शमशान हेतु आरक्षित की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिला कलेक्टर को आपत्ति पेश की थी कि इस ग्राम सुखसागर में पूर्व से ही शमशान स्थित हैं तथा इस खसरे में मोके पर जिस स्थान पर शमसान हेतु भूमि आरक्षित की गई है उस स्थान पर पुराना मंदिर बना हुआ है। आरक्षित की गई भूमि शमशान के उपयोग में नहीं आ रही है। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा भी मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु आदेश पारित किया गया था लेकिन मौका रिपोर्ट पत्रावली पर आने से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इस कारण मौका रिपोर्ट तलब करना लाजिमी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का निर्णय करने से पूर्व मौका रिपोर्ट तहसीलदार लोहावट से तलब करने करने निवेदन किया ताकि मामले का गुणावगुण पर सही निस्तारण करने में सुगमता रहे। अतः अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा खसरा नं. 638 वाके ग्राम सुख सागर, ग्राम पंचायत दयाकौर में से रकबा 5 बीघा भूमि शमशान हेतु आरक्षित करने के पारित किए गए आदेश दिनांक 17.10.2017 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा उक्त खसरा नं. 638 में किए गए अतिक्रमण को हटाने का एवं उक्त भूमि धार्मिक स्थल हेतु उपयोग व उपभोग करने का आदेश प्रदान करावें तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे अपीलार्थीगण को उक्त भूमि को धार्मिक कार्यों हेतु उपयोग एवं उपभोग लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

5 रेस्पो. सं. 7 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने एक ओर अपनी बहस मे तर्क दिया है कि जिला कलेक्टर जोधपुर ने इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगाई है व प्रकरण को रिओपन कर दिया है, यदि प्रकरण जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा रीओपन कर दिया है तो यह अपील इस न्यायालय में इसी बिनाय पर मैंटेनेबल नहीं हैं। फाइनल आदेश की ही अपील की जा सकती है। ग्राम सुखसागर विश्नोई जाति बाहुल्य गांव है विश्नोई समाज के

2/8 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

लोग भूमि दाग देते हैं अतः अधिक भूमि की आवश्यकता रहती है। प्रस्तावित भूमि पहले से शमशान के रूप में काम में ली जा रही थी। इस प्रकरण में जिला कलेक्टर ने अपीलांट द्वारा उनके समक्ष शिकायत करने पर मौका रिपोर्ट भी तलब की गई थी जो इस प्रकरण में सीधे ही इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार शमशान के लिए आरक्षित भूमि मौके पर शमशान के लिए काम आ रही है। अपीलांट द्वारा जो धार्मिक स्थल या मंदिर बताया जा रहा है वह पर्याप्त दूरी पर है। यह तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि मंदिर के स्थान पर कोई शमशान नहीं हो सकता है। इस प्रकरण में जहां शमशान के लिए भूमि आरक्षित की गई है वहां कोई मंदिर नहीं हैं। अतः प्रकरण में मौका रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं हैं तथा अपील आधार हीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 1, 2, 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने लिखित बहस पेश की कि ग्राम सुखसागर के खसरा नं. 638 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा में से ग्राम पंचायत की मांग पर उक्त शमशान का प्रस्ताव तैयार किया गया। शमशान का प्रस्ताव सर्वसमाज के लिए खसरा नं. 683 की 81 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से केवल 5 बीघा का तैयार किया गया। उक्त शमशान स्थल पर कोई धार्मिक स्थल या अतिक्रमण नहीं हैं तथा उक्त भूमि शमशान हेतु उपयोग में ली जा रही है तथा मंदिर से इस भूमि की दूरी 450–500 मीटर है। ग्राम पंचायत की मांग पर यह प्रस्ताव तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी जिला कलेक्टर को भिजवाया गया। प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट के अनुसार सरकारी भूमि खसरा नं. 638 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा में से किस्म गै.मु. भाखर में से 5 बीघा भूमि सर्वसमाज के के शमशान हेतु ग्राम पंचायत की मांग अनुसार स्वीकृत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपनी लिखित बहस के साथ तहसीलदार लोहावट की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का दयाकौर की मौका रिपोर्ट भी संलग्न की है। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में यह कथन किया कि अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट की तलब करने के प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट मंगाने का कोई औचित्य नहीं हैं क्योंकि प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश किए जा चुके थे परंतु पत्रावली अपील में तलब होने से पेश नहीं हो सकी अब यह मौका रिपोर्ट सीधे ही इस न्यायालय में पेश की जा रही है। मौका रिपोर्ट के अनुसार शमशान के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग मौके पर शमशासन के लिए हो रहा है। अपील

में अंकित बिंदु आधारहीन हैं। अतः मोका रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बुधराम गोदारा ने भी अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है। अपीलांट शमशान वाले स्थान पर मंदिर बता रहे हैं वहां कोई मंदिर नहीं हैं बल्कि मंदिर पर्याप्त दूरी पर है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपील के निर्णय से पूर्व पहले मौका रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में निर्णय करने में सुविधा के लिए मौका रिपोर्ट तलब करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। तथा यह भी कथन किया कि वैसे मौका रिपोर्ट जिला कलेक्टर ने भी उनकी शिकायत पर तलब की है परंतु पत्रावली अपील में आने से मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस के साथ तहसीलदार लोहावट की रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का दयाकौर की मौका रिपोर्ट संलग्न की है। राजकीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि यह मौका रिपोर्ट तहसीलदार लोहावट ने जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश से ही तैयार करवाई है लेकिन पत्रावली अपील में आने से यह मौका रिपोर्ट सीधे ही इस न्यायालय में प्रेषित की गई है। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील में सीधे ही रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती। राजकीय अधिवक्ता अपना जबाब व बहस कर सकते हैं परंतु मौका रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते। प्रकरण में मौका रिपोर्ट जरिए राजकीय अधिवक्ता प्राप्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट पुनः मंगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः मौका रिपोर्ट तलब किए जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9 अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आदेश क्रमांक प. 12(3–)शमशान/2017/5065 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा ग्राम सुखसागर के खसरा नं. 638 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित (सेट अपार्ट) की गई है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अनुसार राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अध्यधीन कलक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा और

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऐसी भूमि, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे प्रयोजन से अन्यथा किसी उपयोग में नहीं लाई जावेंगी।

अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि खसरा नं. 638 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा सरकारी भूमि है जिसमें से सेट अपार्ट करने के लिए जिला कलेक्टर सक्षम है। अपीलांट की आपत्ति यह है कि जिस स्थान पर शमशान हेतु भूमि सेट अपार्ट की है उस स्थान पर मंदिर है। लेकिन तहसीलदार लोहावट की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरक्षित की गई भूमि का पूर्व से ही शमशान के लिए उपयोग हो रहा है तथा बताया जा रहा मंदिर इस भूमि से पर्याप्त दूरी 450 से 500 मीटर पर है। अपीलांट ने जो फोटो ग्राफ पेश किए हैं वे खसरा नं. 638 के किस स्थान के हैं स्पष्ट नहीं होता है। यदि मंदिर है भी तो तहसीलदार लोहावट की रिपोर्ट के अनुसार वह 450–500 मीटर दूरी पर है। चूंकि खसरा नं. 638 काफी बड़ा है व उसका कुल रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा है जिसमें केवल 5 बीघा भूमि शमशान हेतु सेट अपार्ट की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। इसके अलावा संपूर्ण खसरा मंदिर के उपयोग में होने संबंधी कोई दस्तावेज या अन्य वैधानिक साक्ष्य अपीलांट की ओर पेश नहीं किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं जिला कलेक्टर जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 यथावत रखा जाता है।

21/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर